

फा.सं. No. F.1/2(2)/2021-R.1
संघ लोक सेवा आयोग

पद का नाम:	स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के टीचिंग स्पेशलिस्ट सब-कैडर में स्पेशलिस्ट ग्रेड -III असिस्टेंट प्रोफेसर (फिजियोलॉजी) ।
विज्ञापन संख्या:	06/2021
भर्ती के मामले रिक्ति संख्या:	21030602127
साक्षात्कार की तिथि	बाद में घोषित किया जाएगा।

: चयन हेतु मानदंड: EQA (i) +EQA (ii)+EQ(B) 03 वर्ष के अनुभव को बढ़ाकर 05 वर्ष कर दिया गया है।
ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज अपलोड की जांच के आधार पर, निम्न उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए लघु सूचीबद्ध किया जाता है।

श्रेणी	लघु सूचीबद्ध उम्मीदवार
अनारक्षित	अनुक्रमांक- 04, 11, 15, 16, 19, 22, 27, 29, 37/PwD/36(duplicate), 38, 39, 40, 45 & 51=29 उम्मीदवार.

निम्नलिखित उम्मीदवार के आवेदनों को निर्धारित मानदंडों के तहत अपूर्ण पाए जाने पर खारिज कर दिया गया है:

श्रेणी /खारिज करने का कारण	सूची
हमारे सीएफडी पत्रों के जवाब में दस्तावेज जमा न करने के कारण अपूर्ण आवेदन श्रेणी के तहत अस्वीकृत।	अनुक्रमांक; 05 & 41=02 उम्मीदवार
उम्मीदवार को वर्धित मानदंड के तहत कवर किया गया लेकिन उपयुक्त नहीं पाए जाने के कारण एलईक्यू (ए) या एलईक्यू (बी) के तहत खारिज कर दिया गया।	अनुक्रमांक; 44, 42 ,47, 23,13 ,49, 33, 52, 18, 31 & 20=11 उम्मीदवार
एलईसी के तहत शेष सभी उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया गया और उन्हें खारिज कर दिया गया किंवदंतियाँ: अनुभव प्रमाणपत्र की कमी।	अनुक्रमांक; 09 ,46, 21, 48, 17, 28, 26, 03 ,08 ,02, 10, 34, 50, 12, 24, 25, 32 ,43, 07, 30, 01, 06, 14 & 35=24 उम्मीदवार

सभी आवेदकों की सूची अनुबंध 'अ' में है।

(परिमल ठाकुर)
सलाहकार-सह-उप सचिव) भर्ती.।)

उम्मीदवारों के लिए निर्देश

वे उम्मीदवार जो पद पर भर्ती हेतु शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंडों के अनुसार उनके आवेदन अस्वीकृत होने के अनुसरण में अभ्यावेदन करने के करने की इच्छा रखते हैं, वे दिनांक 04.02.2022 तक उचित आधार/ कारणों के साथ मेल द्वारा अभ्यावेदन (sort1.upsco@nic.in) प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तारीख के पश्चात प्रस्तुत ई-मेल पर विचार नहीं किया जाएगा। इस तरह के ई-मेल के साथ कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करने है। फिर भी यदि प्रस्तुत किए जाते है तो न तो उन्हें खोला जाएगा, और न ही उन पर विचार या कारवाई की जाएगी। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी भी मामले में, उनमें दशार्ण गए आधार/ कारण अपनाए गए मानदंडों के अनुसार सही पाए जाते है तो ऐसे आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अन्य को अस्वीकृत रखा जाएगा। इसके पश्चात, यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित और अद्यतन संवीक्षा विवरण इसके स्थान पर अपलोड किए जाएंगे। इन ई-मेल में से किसी भी ई-मेल का अलग से जवाब नहीं दिया जाएगा।